N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0056 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/03/2025 17:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 18:15 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/03/2025 17:27:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** FARM MESSRS VANDANA AGENCY, SHANTPUR,ABU ROAD JILA SIROHI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANISH BAROT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOTILAL BAROT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	71, DR.M M. ESTATE COLONYSTATE, AMBAJI ROAD,ABU ROAD, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	71, DR.M M. ESTATE COLONYSTATE, AMBAJI ROAD,ABU ROAD, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	OLMPRAKASH		पिता:NARAYAN LAL	1. BABHOOT MAL KI CHAL,MOUNT ABU ROAD,DARBAR SCHOOL KE PASS,,ABUROAD,SIROHI,RAJA
2	RAJNISH KUMAR		पिता:SHIVSHANKAR SINGH	1. 8/257,VIDHYADHAR NAGAR,VIDYADHARNAGAR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2025 को वक्त 01.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री मनीष बारोट पुत्र श्री मोतीलाल बारोट, जाति बारोट, उम्र 54 वर्ष, निवासी पी.एन. 71, डॉ. एम. एम. सिन्हा एस्टेट कॉलोनी, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला सिरोही कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने एक लिखित रिपोर्ट कार्यालय भ्रनिब्यूरो सिरोही में उपस्थित होकर मन् रामेष्वर लाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कि की मेरी फर्म का नाम वन्दना ऐजनसी है जिसमे मे अधिकृत कम्पनीयो की डिस्ट्रीब्यूटरशीप है जिसमे एक बनास डेयरी पालनपुर (गुजरात की डेयरी) की घी की डिस्ट्रीब्यूटरशीप है ऐजन्सी सान्तपुर रेल्वे ब्रिज के निचे स्थित है जो ऐजेन्सी का सम्पूर्ण काम काज देखने हेतु मुझे अधिकृत किया गया है इस ऐजेन्सी से सम्बधीत कार्य सभी मेही देखता हुं मेरी ऐजेन्सी का सम्पूर्ण काम काज देखने हेतु मुझे अधिकृत किया गया है इस ऐजेन्सी पर दिनांक 5.2.2025 को श्रीमान रजनीस सिंह सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड जिला सिरोही व श्रीमान ओमप्रकाश बाबूजी व अन्य मण्डी का कर्मचारी साथ मे था तीन जने मेरी ऐजेन्सी पर आये जिन्होने मेरे बारे मेरे मैनेजर श्री कृष्ण कान्त त्रिवेदी को पुछा तो मुझे मेरा बाहर बताया गया मे वहा पर उपस्थित नही था मेरी गैर हाजरी मे मेरे मैनेजर को तिनों ने बनास डेरी के घी के क्रय के बिल मांगे तब मैनेजर ने मेरे आने पर देने का कहा तो मण्डी सचिव व बाबू ने मिलकर धमकी देकर बनास डेरी की फाईल मे से बनास घी के बिल जबरदस्ती निकाल कर लेकर गये तब मे 6.2.2025 को कृषि मण्डी कार्यालय आबुरोड जहा पर श्री रजनीस सिंह सचिव व ओमपकाश बाबूजी दोनो मिले जिनसे मैने बिलों के बारे मे बातचित की तो उन्होने दोनो ने बताया कि आपके पास कृषि मण्डी का लायसेन्स नही है जो आपके इन सभी बिलो के 150000 की पेल्नटी बनती है तब मेने कहा कि मुझे ज्ञान नही था की बनास डेरी का घी का व्यापार करने हेतु लाइसेंन की आवश्यकता है ओर लांइसेन्स लेना होग तो मे लो लुगां और मे वापस अपनी ऐजेन्सी पर आ गया उसके बाद दिनांक 20.2.2025 को मण्डी के एक कर्मचारी मेरी वन्दना ऐजेन्सी के नाम से नोटीस लेकर नोटीस क्रमांक 649 दिनांक 20.2.2025 लेकर आया जिसने मुझे नोटिस दिया तथा दुसरी कोपी पर मेरे हस्ताक्षर करवाके लेकर गया तब दिनांक 21.2.2025 को मैं पून नोटीस आने पर कृषि मण्डी कार्यालय गया तो मण्डी कार्यालय मे श्रीमान रजनीष सिंह एव ओमप्रकाश बाबूजी मिले जिनसे मेने नोटीस के बारे मे पुछा तो कहा कि आपके बिलो के अनुसार जो वह लोग लेकर गये थे 150000 रूपये की पेन्लटी बनती है मगर आप हमारे को 35000 रूपये देदो तो आपके लगभग 115000 रूपये का फायदा हो जायेगा ओर हम 5000 की रसिद दे देगे 30000 रूपये हम दोनो आपस मे बाट लेगे और आप का मामला रफादफा हो जायेगा मैने कहा की नामी कम्पनी बनास डेरी का शुद घी है इसमे इतनी कमाई (मुनाफा) नही है इतने रूपये मे नही दे सकता हुं। मैने हाथा जोडी की तो श्री रजनीशसिंह ने कहा की हमारे दोनो की तरफ से ओमप्रकाश बाबूजी से लेनदेने की बात करनी है वो कर लेना यदि आप इस प्रकार से कर दोगो तो तुम्हारा फायदा कर देगे मेरे से वैध कार्य होने के बावजुद भी रिश्वत की मांग कर रहे है। जो मै रिश्वत मे देना नही चाहता हुं। मै इन दोनो को रिश्वत राशि लेते हुओ को रंगेहाथो पकडवाना चाहता हुं मेरे व श्रीमान रजनीश सिंह सचिव व ओमप्रकाश बाबुजी का किसी प्रकार का कोई लेनदेन बकाया नही तथा नही हमारे आपस मे कोई दुश्मनी है। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी से विस्तृत पुछताछ करने पर परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद हुई। प्रथम दृष्टया मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने से संबधित होनें से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया श्री सुरेश दान कानि0 नं. 470 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर परिवादी श्री मनीष बारोट से आपस में परिचय करवाया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से चौकी हाजा का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर परिवादी श्री मनीष बारोट

को उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑपरेट करने की विधि की समझाईश की गई। परिवादी श्री मनीष बारोट ने श्री ओमप्रकाश बाबुजी की कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड में उपस्थिति ज्ञात की तो श्री ओम प्रकाश कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ में उपस्थित नही होकर विभागीय मिटींग में भाग लेने हेतु मण्डार की तरफ जाना ज्ञात हुआ। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज श्री ओम प्रकाष बाबुजी कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ में उपस्थित नहीं होने से उससे रिश्वत राशि मांग के सम्बंध में वार्ता नहीं हो सकती एवं कल दिनांक 23.02.2025 को मैं अपने परिवार सहित कुम्भ धार्मिक यात्रा हेतु जा रहा हूँ। इसलिए मैं दिनांक 02.03.2025 को कुम्भ यात्रा से वापस आकर श्री ओम प्रकाश की उपस्थिति ज्ञात कर आपसे सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी मनीष बारोट एवं श्री सुरेश दान कानि. दोनों के मोबाईल नम्बरों का आपस में आदान-प्रदान करवाया गया। कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मनीष बारोट को निर्देषित किया कि आप कुम्भ यात्रा से पुनः आकर श्री ओमप्रकाश बाबुजी की उपस्थिति ज्ञात कर श्री सुरेश दान कानि. से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करावे। इत्यादी हिदायत कर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुऐ रूखसत किया गया। श्री सुरेश दान कानि0 को हिदायत दी कि परिवादी से सम्पर्क होने पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित स्वयं के पास रखी। दिनांक 03.03.2025 को सुबह श्री सुरेश दान कानि0 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरा जरिये वॉट्सअप कॉल परिवादी श्री मनीष बारोट से सम्पर्क हुआ है। जिसने बताया कि आज दिनांक 03.03.2025 को श्री ओमप्रकाष बाबुजी कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ में उपस्थित मिलेंगे। आप लगभग 10-11 बजे तक डिजीटल वॉयस रिकार्ड लेकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु आबूरोड़ पहुचो। मैं आबूरोड़ में रोडवेज बस स्टेण्ड पर आपको उपस्थित मिलूंगा।जिस पर श्री सुरेश दान कानि. नं0 470 को कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्ड में लगा मैमारी कार्ड जो पूर्व में उपयोग में लिया गया था। उक्त मैमोरी कार्ड को मन अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्णत खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगाया गया। तत्पश्चात कानि. श्री सुरेश दान को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु कस्बा आबूरोड़ की तरफ रवाना किया गया। दिनांक 03.03.2025 को समय 04.00 पीएम पर श्री सुरेश दान कानि. ने जरिये वॉट्सअप कॉन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री मनीष बारोट एवं श्री ओमप्रकाश बाबुजी के मध्य रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता हो गई है। वार्ता के दौरान श्री ओमप्रकाश बाबुजी ने 20,000 रूपये की मांग की है। जिस में से 2,000 रूपये की रसीद एवं 18,000 रूपये रिश्वत के रूप में स्वयं के लिऐ मांगे है। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं 3-4 दिन में 20,000 रूपये की व्यवस्था करूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री सुरेश दान कानि. को निर्देषित किया कि परिवादी को हिदायत करे कि 3-4 दिन में 20,000 रूपये की व्यवस्था कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आवे एवं कार्यवाही की गोपनीयता रखे। दिनांक 03.03.2025 को समय 06.00 पीएम पर मांग सत्यापन में गया हुआ कानि. श्री सुरेश दान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द हालात में मन अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मन कानि. भ्रनिब्यूरो चौकी से रवाना होकर रोडवेज बस स्टेन्ड आबूरोड पहुच परिवादी से सम्पर्क किया, जिस पर परिवादी श्री मनीश बारोट मुझे उपस्थित मिला। जिसने मुझे बताया कि श्री ओमप्रकाश बाबूजी के बारे में मैने मालुमात किया तो वह अभी अपने कार्यालय काम से कोर्ट गये हुए हैं, जो दोपहर बाद अपने कार्यालय पर उपस्थित आयेंगे। उसी समय मेरे से रिश्वत राशि के सम्बंध में वार्ता करेगें। जिस पर मन कानि और परिवादी ने श्री ओमप्रकाश बाबुजी के कृषि उपजमण्डी समिति में आने के इन्तजार में व्यस्त रहे। दोपहर को परिवादी ने श्री ओमप्रकाश की उपस्थित के बारे मे ज्ञात किया तो वह कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड में उपस्थित होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन कानि. ने कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को चलाने की समझाई कर उसे देकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के कार्यालय के लिऐ रवाना किया। मन कानि. अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के पुन आने के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मनीष बारोट पुन मेरे पास उपस्थित आया, जिसने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन कानि. को सुपुर्द किया। जिसे मैने ऑफ कर अपने कब्जे में रखा। परिवादी श्री मनीष बारोट ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ गया, जहां पर श्री ओमप्रकाश बाबुजी उपस्थित मिले। जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता की तो उन्होने मेरे कार्य के एवज में 20,000 रूपये की मांग की है तथा कहां कि बीस हजार रूपये में से 2,000 रूपये की रसीद कटेगी, शेष 18,000 रूपये स्वयं के लिऐ रिश्वत के रूप में मांगे है। परिवादी द्वारा दौराने मांग सत्यापन 5,000 रूपये श्री ओमप्रकाश बाबुजी को देने चाहे तो उन्होने कहां कि मैं पूरी राशि एक साथ लूंगा, मेरे पास से पैसे खर्च हो जायेंगे, साहब को पुरी राशि एक साथ देनी पडेंगी। इसलिऐ आप 20,000 रूपये एक साथ ही देना। परिवादी श्री मनीष बारोट एवं श्री ओमप्रकाश बाबुजी की उक्त वार्ता इस डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है एवं परिवादी ने बताया है कि मैं 3-4 दिन में 20,000 रूपये की व्यवस्था कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही मे उपस्थित आ जाउंगा। श्री सुरेश दान कानि. द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर

रिकार्डिंग वार्ता को सुना तो कानि. श्री सुरेश दान के कथनों की ताईद होते हुऐ रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। दिनांक 04.03.2025 को सांय परिवादी श्री मनीष बारोट ने जरिये वॉट्सअप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री ओमप्रकाश बाबुजी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये की व्यवस्था हो गई है, परन्तु मेरे फर्म से सम्बंधित कोई जरूरी कार्य होने से मैं दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025 को दो दिन के लिऐ आबूरोड़ से बाहर हूँ। दिनांक 07.03.2025 को सुबह जल्दी आबूरोड़ पहुच जाउंगा परन्तु मै भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। मैं दिनांक 07.03.2025 को सुबह 11.00 ए.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये सहित लोहार समाज धर्मशाला, अम्बाजी रोड़ आबूरोड़ पर उपस्थित रहूंगा। कार्यवाही हेतु आप अपनी टीम सहित आबूरोड आ जाये। परिवादी के वॉट्सअप वार्ता अनुसार दिनांक 07.03.2025 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया कि मैं दिनांक 05.03.2025 व 06.03.2025 को राजकार्य हेतु भ्रनिब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर उपस्थित रहूंगा एवं दिनांक 07.03.2025 को आयोजित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से आप दिनांक 06.03.2025 को नगर परिषद सिरोही से जरिये तहरीर दो गवाहान तलब कर उन्हे दिनांक 07.03.2025 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही में उपस्थित रखे एवं ब्यूरो जाब्ता को भी दिनांक 07.03.2025 को वक्त प्रातः 08.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के लिऐ रवाना हुआ। दिनांक 07.03.2025 को समय 08.00 ए.एम पर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश कुमार पटेल पुत्र श्री नरसाराम, जाति घांची, उम्र 34 वर्ष, निवासी सारणेश्वर रोड़ सिरोही हाल कनिष्ठ सहायक,नगर परिषद सिरोही व श्री हरीश कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल, जाति सरगरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी पीजी कॉलेज के पीछे सिरोही हाल कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद सिरोही एवं श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक व अन्य ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। परिवादी श्री मनीष बारोट से जरिये वॉट्सअप कॉल सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैने आरोपी श्री ओमप्रकाश बाबुजी को रिश्वत में देने वाली राशि 20,000 रूपये की व्यवस्था कर दी है एवं लोहार समाज धर्मशाला अम्बाजी रोड़ आबूरोड़ में आपके उपस्थित आने का इन्तजार कर रहा हूँ। जिस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री जगदीश कुमार पटेल व श्री हरश कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री विक्रमसिंह हैड कानि. नं. 36, श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109, श्री अवतारसिंह सहा. प्रशा. अधि.(माफिक निर्देष उच्च अधिकारियों के), श्री सुरश दान कानि. नं. 470, श्रीमती ईशू कंवर महिला कानि. नं. 157 व श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक हमराह ट्रेप बॉक्स, लेपटोप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, नये पैन ड्राईव, नये मैमोरी कार्ड्स, विडियो कैमेरा, कागज की पुडिया फिनोफ्थलीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट पाउडर व अन्य ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री गणेश लाल नं. 561 एवं निजी वाहन से रवाना लोहार समाज धर्मशाला अम्बाजी रोड़ आबूरोड पहुचे। जहां धर्मषाला के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री मनीष बारोट अपनी निजी कार सहित उपस्थित मिले। परिवादी श्री मनीष बारोट ने बताया कि उक्त धर्मशाला का मैनेजर मेरे परिचित है। जिससे मैने धर्मशाला का एक बड़ा कमरा खुलवा दिया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के लोहार समाज धर्मशाला के एक रूम में पहुचे। जहां परिवादी श्री मनीष बारोट ने बताया कि आरोपी श्री ओमप्रकाश बाबुजी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये में साथ लेकर आया हूँ एवं श्री ओमप्रकाश बाबूजी की उपस्थिति के बारे में मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि श्री ओमप्रकाश बाबुजी अपने कार्यालय में उपस्थित है। परिवादी श्री मनीष बारोट का उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल व श्री हरीश कुमार से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे से निकाल कर दोनो गवाहन को पढाई गई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधी वार्ता जो कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त रिकार्डर को चालू कर मांग सत्यापन वार्ता को सुनाया गया। दोनों गवाहो ने परिवादी की रिपोर्ट पढ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर परिवादी से पूछताछ करने के पश्चात् ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति देकर परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहन ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। समयाभाव के कारण रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स आइन्दा तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कुमार व श्री हरीश कुमार की उपस्थिति में परिवादी श्री मनीष बारोट को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नम्बर निम्न प्रकार है – 01. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरीOQB 497171, 02. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KH 413353, 03. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CM 897405, 04. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरीOPR 404384, 05. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरीOFN 123339, 06. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GG 596365, 07 . एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5UT 249291, 08. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7WQ 953105, 09. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2LA 782481, 10. एक नोट पांच सौ

रूपये का नम्बरी 5LG 501612, 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी6MN 393918, 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी OBC 785476, 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BM 476436, 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी ORL 688602, 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AH 623257, 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी6BA 726135, 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7MP 382159, 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NC 373086, 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी2VA 150553, 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KE 426607, 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BN 406814, 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी6FN 015933, 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6DP 579199, 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी2FE 947978, 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3NA 343964, 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी3NA 343965, 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DV 006015, 28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HN 377106, 29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी ONT 571488, 30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6PK 011813, 31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9FF 187754, 32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1QL 040819, 33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9PB 267689, 34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी0DB 776543, 35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5SE 246524, 36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EP 134579, 37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FM 226740, 38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7WM 491991, 39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1PB 953820, 40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी2KL 657943है।उपरोक्त नोटों को अखबार के उपर रखवाकर श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक के पास कागज की पुड़िया में उपलब्ध फिनोफथलीन पाउडर को श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक से ही उक्त 20,000 रू के सभी नोटों पर हल्का-हल्का लगवाया गया। परिवादी श्री मनीष बारोट की जामा तलाशी गवाह श्री जगदश कुमार पटेल से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री मनीष बारोट के पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनीष बारोट को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि को नहीं छुऐ आरोपी श्री ओमप्रकाश बाबुजी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वत राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी श्री मनीष बारोट को यह भी निर्देषित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर या ब्यूरो के किसी अन्य स्टाफ के मोबाईल पर मिसकॉल/कॉल करके गोपनीय ईशारा करें। ततपश्चात फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की क्रिया प्रतिक्रिया एवं उपयोगिता के बारे में समझाया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री रामदयाल कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही की गोपनीयता रखते हुऐ कस्बा में आबूरोड़ में ही छोड कर निर्देष दिये कि रवाना होकर भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही पहुचे। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाषी लिरवाई जाकर कोई आपतिजनक वस्तु एवं राषि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के जरिये सरकारी एवं परिवादी की निजी कार से लोहार समाज धर्मषाला आबूरोड़ से रवाना होकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ के पास पहुचे। जहां परिवादी श्री मनीष बारोट को कार्यालय हाजा का डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर देकर रिश्वत राशि आदान-प्रदान हेतु कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के लिऐ स्वंय की कार से रवाना किया। उनके पीछे-पीछे परिवादी के गोपनीय ईशारे की निगरानी हेतु श्री विक्रमसिंह हैड कानि व श्री चेलाराम हैड कानि. के रवाना किया एवं शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड के ईर्द-गिर्द अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री मनीष बारोट बिना कोई पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किये कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड से बाहर आकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्रस्तुत किया। जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लेकर ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मनीष बारोट ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ गया, जहां पर श्री ओमप्रकाश बाबुजी उपस्थित मिले। जिनसे मैने मेरे कार्य के सम्बंध में वार्ता की तो उन्होने बोला श्री रजनीश जी सचिव साहब भी अभी अपने ऑफिस में बैठे हे जिनसे आपको मिलवाता हूं। फिर अन्दर अपने ऑफिस में बैठे श्री रजनीश जी सचिव साहब से मैंने अपने कार्य के बारे पूछा तो रजनीश जी ने मेरे कार्य के एवज में 20,000 रूपये की मांग की है तथा कहां कि बीस हजार रूपये में से 2,000 रूपये की रसीद कटेगी, शेष 18,000 रूपये स्वयं के लिऐ रिश्वत के रूप में मांगे ओर बोला कि ओमप्रकाश बाबुजी से बात करके उनको रिश्वत के पैसे दे दो। ओमप्रकाश बाबूजी के पास जाकर मैंने रसीद व अपने काम के बारे में बोला तो मेरे कार्य की ऐवज में 20000 रूपये मांगे ओर 2400 रूपये की

रसीद काट कर अपने पास रखली ओर आईन्दा पैसे अपने आप कॉल कर के बता दूंगा। जिस पर मैंने आज शाम 7 बजे तक अपनी ऑफिस में कॉल करके आने का बोला है। ओमप्रकाश बाबूजी आज शाम 7 बजे तक फ्री होकर मेरे ऑफिस में आकर रिश्वत की राशि प्राप्त करेगा। श्री मनीष बारोट द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें लेन देन पूर्व वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर रिकार्डिंग वार्ता को सुना तो परिवादी श्रीमनीष बारोट के कथनों की ताईद होते हुऐ रिश्वत राशि मांग की पुन पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के जरिये सरकारी वाहन एवं परिवादी की निजी कार से लोहार समाज धर्मशाला आबूरोड़ पहुच श्री ओमप्रकाश बाबुजी के कॉल आने के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। चूंकि एसओ ओमप्रकाश बाबुजी द्वारा आज शाम 7 बजे तक परिवादी को कॅाल कर रिश्वत राशि प्राप्त करना बताया है परिवादी के बताऐ अनुसार रिश्वत राशि का लेन-देन शाम 7 बजे होना तय है, तब तक दोनों गवाहन व परिवादीउपस्थित हे जिनके रूबरू फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री सुरेश दान कानि नं 470 द्वारा परिवादी श्री मनीष बारोट एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश बाबुजी कृषि उपज मण्डी आबूरोड जिला सिरोही के मध्य दिनांक 03.03.2025 को रुबरु हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फॉरेन्सिक ईमेंजिग टूल की मदद से हैष वैल्यू ज्ञात कर फर्द पर अंकित की गई तथा रिर्काडेड ऑडियों की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से तीन क्लॉन पेन ड्राईव तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेंसे निकालकर एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये उक्त थैली पर मार्क –एम अकिंत किया एवं तीनों पेन ड्राईव को क्लोन मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री ओमप्रकाश बाबुजी की आवाज की पहचान परिवादी श्री मनीष बारोट द्वारा की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मनीष बारोट एवं आरोपीगण श्री ओमप्रकाष बाबुजी व श्री रजनीष जी सचिव कृषि उपज मण्डी आबूरोड जिला सिरोही के मध्य दिनांक 07.03.2025 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन देन पूर्व वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-शब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फॉरेन्सिक ईमेंजिग टूल की मदद से हैष वैल्यू ज्ञात कर फर्द पर अंकित की गई तथा रिर्काडेड ऑडियों की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से तीन क्लॉन पेन ड्राईव तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेंसे निकालकर एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये उक्त थैली पर मार्क –एम-1 अकिंत किया एवं तीनों पेन ड्राईव को क्लोन मानते हुये खुली रखी गई। आरोपीगण श्री ओमप्रकाष बाबुजी व श्री रजनीष जी सचिव की आवाज की पहचान परिवादी श्री मनीष बारोट द्वारा की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री मनीष बारोट ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि ओमप्रकाश बाबुजी कृषि उपज मण्डी आबूरोड अभी अपने विभागीय कार्य से आबूरोड से बाहर रेवदर की तरफ चला जाना ज्ञात हुआ है इसलिए आज ओमप्रकाश बाबुजी मेरे से रिश्वत राशि नहीं लेगा दो दिन राजकीय अवकाष होने से अब सोमवार के बाद ही मेरे को रिश्वत राशि लेने के लिये कॉल करेगा। जिस पर आज के रोज ट्रैप कार्यवाही नहीं हो पाने से ट्रैप कार्यवाही को दो दिन बाद करने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने रिश्वत राशि 20000 रूपये के नोट अपने जेब से निकालकर पेश किये जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने एक लिफाफे में डाल कर सुरक्षित रखी। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने व सम्पर्क में रहने की हिदायत देकर फारीक किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरीयान, स्वंतत्र गवाहान, फर्द पेशकशी मय रिश्वत राशि लिफाफे में, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर, ट्रैप बॉक्स, जरिये फर्द जब्ती के जब्त सुदा दोनों मैमोरी कार्ड व क्लोन पैन ड्राईव के जरिये सरकारी वाहन व निजी वाहन के रवाना होकर भ्रनिब्यूरो सिरोही पहुंचा। ट्रैप बॉक्स व जब्त शुदा मैमोरी कार्ड सुरक्षित रखने सुपुर्द मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया। स्वंतत्र गवाहान को आईन्दा भ्रनिब्यूरो से बुलाने पर उपस्थित आने व ट्रैप कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत देकर फारीक किया गया। दिनांक 11.03.2025 को समय 10.15 ए.एमपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री मनीष बारोट ने जरिये वाटसप कॉल बताया कि श्री ओमप्रकाश बाबुजी अभी मेरी फर्म मैसर्स वन्दना एजेन्सी पर आकर मुझे कॉल कर मिलने का बोला लेकिन मैने किसी कार्य से आबूरोड से बाहर होना व 2-3 बजे तक आबूरोड पहुच कर फोन करने का बोला है। आज दोपहर 2-3 बजे ओमप्रकाश बाबूजी मेरे से रिश्वत राशि लेगा आप अपनी टीम के साथ आबुरोड आ जाओ में लोहार समाज धर्मशाला अम्बाजी रोड़ आबूरोड़ में आपके उपस्थित आने का इन्तजार कर रहा हूँ। जिस पर परिवादी के बताये अनुसार ट्रैप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर पूर्व पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जगदीश कुमार पटेल व श्री हरीश कुमार एवं श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक व अन्य ब्यूरो जाब्ता को कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द करने पर उपरोक्तानुसार उपस्थित आये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाह सर्व श्री जगदीश कुमार पटेल व श्री हरीश कुमार ब्यूरो जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री विक्रमसिंह हैड कानि. नं. 36, श्री चेलाराम हैड कानि. नं. 109, श्री अवतारसिंह सहा. प्रशा. अधि. (माफिक निर्देश उच्च अधिकारियों के),श्री सुरेश दान कानि. नं. 470, श्री रमेश कुमार कानि नं 119, श्रीमती ईशु कंवर महिला कानि. नं. 157 हमराह ट्रेप बॉक्स, लेपटोप

प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, नये पैन ड्राईव, नये मैमोरी काड्र्स, विडियो कैमेराव अन्य ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री गणेशलाल नं. 561 एवं निजी वाहन से भ्रनिब्यूरो कार्यालय सिरोही से रवाना होकर लोहार धर्मशाला आबुरोड पहुचे, जहां धर्मशाला के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री मनीष बारोट अपनी निजी कार सहित उपस्थित मिले। परिवादी श्री मनीष बारोट ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि उक्त धर्मशाला का मैनेजर मेरे परिचित है। जिससे मैने धर्मशाला का एक बड़ा कमरा खुलवा दिया है । जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के लोहार समाज धर्मशाला के एक रूम में रूककर आरोपी का परिवादी के पास कॉल आने का इन्तजार करने में व्यस्त हुऐ। साय तक परिवादी के पास आरोपी श्री ओमप्रकाश का कॉल नहीं आने पर परिवादी श्री मनीष बारोट ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैंने श्री ओमप्रकाश के बारे में ज्ञात किया तो अभी वो अपने विभागीय कार्य से आबूरोड से बाहर है कल सुबह 10 बजे मेरे से रिश्वत लेगा। जिस पर दिनांक 12.03.2025 को अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेते हुऐ रात्रि विश्राम लौहार समाज धर्मशाला में किया जाकर मुकिम आबुरोड रहे। दिनांक 12.03.2025 को समय 10.10 ए.एमपर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया कि मैंने ओमप्रकाश बाबूजी कृषि उपज मण्डी आबूरोड के बारे में ज्ञात किया अभी वो विभागीय कार्य से स्वरूपगंज गये हुऐ है। जो शाम को 5.30 बजे तक वापस आबूरोड आयेंगे तब मेरे से रिश्वत की राशि प्राप्त करेगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाब्ता व परिवादी, आरोपी ओमप्रकाश के वापस आबूरोड आने के इन्तजार में व्यस्त हुए। दिनांक 12.03.2025 को समय लगभग 5 बजे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वंतत्र गवाह, परिवादी मनीष बारोटव हमराह जाब्ता के जरिये सरकारी वाहन व निजी वाहन के लौहार समाज धर्मशाला से रवाना होकर परिवादी की फर्म मैसर्स वन्दना एजेन्सी सान्तपुर आबूरोड पहुचे। जहां लिफामें में फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोट जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित थे। उक्त लिफाफा में रिश्वत राशि 20,000 रूपये गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल से बाहर निकालवाकर पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि एव सुपुर्दगी नोट से नोटों के नम्बरों का मिलान करवाकर नोटों के नम्बर हुबय पाये जाने पर गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल से ही परिवादी श्री मनीष बारोट के पहने हुऐ पेंट के साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये तथा गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल के दोनों हाथों को दो-तीन बार साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। ततपश्चात परिवादी श्री मनीष बारोट के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री ओमप्रकाश के मोबाईल पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मैं आबूरोड़ आ गया हूँ। मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। उक्त वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। आरोपी एवं परिवादी की आपस में हुई वार्ता अनुसार आरोपी का शीघ्र ही परिवादी की फर्म पर आना सम्भावित है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत दी की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करे एवं हमराह श्री सुरेश दान कानि. को हिदायत दी कि परिवादी एवं आरोपी के मध्य होने वाली रिश्वत राशि लेन-देन पर गोपनीय निगरानी रखे। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के परिवादी के फर्म के बाहर की तरफ अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुऐ। श्री सुरेश दान कानि. को फर्म अन्दर परिसर में अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खडे रहने की हिदायत की । कुछ समय पश्चात फर्म मैसर्स वन्दना ऐजेन्सी के परिसर में खडे श्री सुरेशदान कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को देखते हुऐ पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल हमराह दोनों गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के जरिये सरकारी वाहन के मैसर्स वन्दना ऐजेन्सी में पहुचे। जहां ऐजेन्सी के मुख्य द्वार पर परिवादी श्री मनीष बारोट उपस्थित मिले। जिन्होने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मैने स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मनीष बारोट ने रूबरू गवाहन बताया कि श्री ओमप्रकाश बाबुजी मेरे ऐजेन्सी के कार्यालय कक्ष में बैठे है। जिन्होने मेरे से रिश्वत के 20,000 रूपये अपने हाथ से लेकर मेरे द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के नाम संबोधित पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्र में लपेट कर अपने साथ लाये कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ की रसीद बुक में डाले। उक्त रसीद बुक रिश्वत राशि सहित ऐजेन्सी के कार्यालय कक्ष में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर रखी प्रथम टेबल पर रखी है। जिस पर परिवादी श्री मनीष बारोट को हमराह लेकर मय स्वतन्त्र गवाहान के मैसर्स वंदना ऐजेन्सी के कार्यालय कक्ष मे प्रवेश हुऐ। उक्त कार्यालय कक्ष में प्रवेश करते ही सामने की तरफ चेयर पर एक व्यक्ति बैठा मिला। उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुऐ उसका परिचय पुछा तो उसने अपना परिचय ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायणलाल, जाति धोबी, उम्र 41 वर्ष, निवासी भभूत मल की चाल, माउन्ट आबू रोड़, दरबार स्कूल के पास, आबूरोड़, जिला सिरोही हाल पर्यवेक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़, जिला सिरोही, मोबाईल नम्बर 9887463734 होना बताया। उपस्थित परिवादी श्री मनीष बारोट की ओर ईशारा कर आरोपी श्री ओमप्रकाश को उसे पहचानने बाबत पूछा गया तो उन्होने बताया कि हा मै इन्हे जानता हूँ । जिस पर श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक को परिवादी श्री मनीष बारोट से अभी-अभी कोई राशि लेने बाबत पूछा गया तो उन्होने बताया कि इनकी फर्म नाम कृषि उपमज मण्डी समिति का लाईसेंस नहीं होने के उपरान्त भी इन्होने राजस्थान से बाहर बनास डेयरी पालपुर से घी की खरीद की है। जिसकी पेनेल्टी के रूप में मुझे 20,000 रूपये दिये है। जिस पर पास ही

खडे परिवादी ने रूबरू गवाहान आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के कथनों का खण्डन करते हुऐ बताया कि दिनांक 05.02.2025 को श्री ओमप्रकाश, श्री रजनीशसिंह सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़ मेरी फर्म पर आये तथा बनास डेयरी पालपुर से क्रय किये गये घी के बिलों को जब्त कर अपने साथ ले गये एवं दिनांक 20.02.2025 को मुझे राजस्थान कृषि उपज विपणी अधनियम 1961 की धारा 4, 14 व 17 का उल्लघन करने का नोटिस क्रमांक 649 दिनांक 20.02.2025 दिया। जिस पर दिनांक 21.02.205 को मैं कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ गया। जहां पर मुझे श्री ओमप्रकाश मिले। जिन्होने मुझे बताया कि आपके पास कृषि उपज मण्डी समिति का लाईसेंस नहीं है। बिना लाईसेंस आपने राज्य से बाहर का घी क्रय किया है। जिसके पेलेन्टी के 1,50,000 रूपये बनते है। मगर आप हमारे को 35,000 रूपये रिश्वत के दें दो तो आपके लगभग 1,15,000 रूपये का फायदा हो जायेगा। जिस पर मेरे द्वारा हाथाजोड़ी करने पर उन्होने 20,000 रूपये लेने पर राजी हुऐ। आज अभी-अभी श्री ओमप्रकाश मेरे कार्यालय में आये तथा अपने साथ पूर्व में मेरी फर्म से जब्त बनास डेयरी पालनपुर के घी के सभी बिल एवं उन पर लगने वाला मण्डी शुल्क, किसान कल्याण शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क इस प्रकार कुल 1,28,462 रूपये का गणना प्रपत्र लेकर आये साथ ही कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ की मण्डी शुल्क रसीद बुक भी लेकर आये। यहां आकर श्री ओमप्रकाश जी ने बनास डेयरी पालनपुर के बिल संख्या 1027098364 दिनांक 12.08.2024 की गणना कर वन्दना ऐजेन्सी आबूरोड़ के नाम मण्डी व अन्य शुल्क के 2476 रूपये की रसीद काटकर अपने साथ लाये कागजों में ही रखी। उसके बाद मेरे से रिश्वत राशि के 20,000 रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के नाम संबोधित मेरे प्रार्थना-पत्र में लपेट कर रसीद बुक में रखी है। बनास डेयरी के समस्त बिल, गणना प्रपत्र एवं कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ की रसीद बुक रिश्वत राशि सहित यही टेबल पर रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल, कनिष्ट सहायक से टेबल पर पडे़ बनास डेयरी पालनपुर के बिलों के साथ रखी कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ की रसीद बुक के रसीद संख्या 64 के क्रमांक 76 के अन्दर कागज में लेपेटे हुई रूपयों के बन्डल को बाहर निकाला गया, जिसे गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल से गिनवाये गये तो पांच सौ- पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) होने पाये गये। हमराह दुसरे गवाह श्री हरीष कुमार कनिष्ट सहायक को पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी रिश्वती राशि सुपुर्द कर उक्त 20,000 रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 20,000 रूपये को गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल कनिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री ओमप्रकाश के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के दो डिस्पोजल साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। तत्पष्श्चात तैयार दुसरे रंगहीन प्लास्टिक के एक गिलास के घोल में आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को गिलास में डुबोकर घुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झाईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने हल्का झांईदार गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। रिष्वत राषि आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक ने प्राप्त कर अपने साथ लाये परिवादी श्री मनीष बारोट का सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के नाम संबोधित प्रार्थना पत्र में लपेट कर कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड की रसीद बुक संख्या 64 के क्रमांक 76 दिनांक 07.03.2025 पर रखी थी। जिस प्रार्थना-पत्र में रिश्वत राशि को पलेटा गया था उक्त प्रार्थना-पत्र परिवादी श्री मनीष बारोट द्वारा श्रीमान सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड को निरीक्षण प्रकरण को मण्डी समिति के स्तर पर निस्तारण करने बाबत होकर प्रकरण में वांछित रिकार्ड होने से उक्त प्रार्थना-पत्र का धोवन नहीं लिया गया। क्योकि धोवन लेने के लिऐ कपडे़ की चिन्दी को भीगो कर उक्त प्रार्थना पत्र पर रगड़ कर लेने से मूल प्रार्थना-पत्र में लिखी ईबारत मिटने की सम्भावना होने से उक्त मूल प्रार्थना-पत्र का धोवन नही लेने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल कनिष्ठ सहायक जिसके पास बरामदा रिश्वत राशि पूर्व में सुरक्षित रखवाई गई थी, जिसे प्रस्तुत करने का कहने पर गवाह श्री जगदीश कुमार पटेल द्वारा उक्त बरामदा रिश्वत राशि 20,000 रुपये प्रस्तुत किए। उक्त बरामदा रिश्वत राशि को एक कपडे़ की थेली में डालकर थेली को सिल चिट कर उस पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पष्चात आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री हरीष कुमार कनिष्ट सहायक से लिरवाई गई तो उसके पहने हुऐ पेन्ट के पीछे की जेब में एक बटुआ मिला। जिसको चैक करवाने पर उसमें 1630 रूपये एवं स्वयं का आधार कार्ड नम्बर 2600-9164-6375 पाया गया। उक्त राषि के बारे में श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक को पूछने पर उन्होने अपने घर खर्च के होना बताया। पेन्ट की जामा तलाषी के दौरान साईड के बाये जेब में एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल जिसके कॉलिंग नम्बर क्रमषः [redacted] (बी.एस.एन.एल) व [redacted] (जिओ) है।

आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक का जवाब सन्तोषजनक होने से राषि 1630 रूपये, आधार कार्ड मय बटुआ एवं सेमसंग कम्पनी का मोबाईल आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक को पुनः सुपुर्द किये गये। आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक को परिवादी श्री मनीष बारोट के फर्म मैसर्स वंदना ऐजेन्सी, सान्तपुर, आबूरोड़ के निरीक्षण से सम्बंधित दस्तावेजात के बारे में पूछने पर उसने बताया कि दिनांक 05.02.2025 को फर्म के निरीक्षण के दौरान बनास डेयरी पालनपुर के कुल 19 बिल जब्त किये गये थे। जिसमें 18 बिलों का मण्डी शुल्क व किसान कल्याण शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की गणना कर कुल शुल्क 1,28,462 रूपये का गणना प्रपत्र, निरीक्षण प्रपत्र, शुल्क रसीद बुक संख्या 64 एवं बनास डेयरी पालनपुर का बिल संख्या 1027098364 दिनांक 12.08.2024 एवं उक्त बिल पर मण्डी शुल्क, शमन शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क कुल 2476 रूपये की रसीद संख्या 76 दिनांक 07.03.2025 इत्यादी दस्तावेजात मैं कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ से साथ लेकर आया था। जो यही मैसर्स वन्दना ऐजेन्सी सान्तपुर आबूरोड़ के कार्यालय कक्ष की टेबल पर ही पडे़ है। इससे सम्बंधित कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ में अन्य कोई दस्तावेजात नहीं है। जिस पर उपरोक्त वांछित दस्तावेजात कार्यवाही में वाछित होने से बनास डेयरी कि प्रत्येक बिल, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड के नाम संबोधित परिवादी का प्रार्थना पत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, रसीद बुक संख्या 64 क्रमांक 76 दिनांक 0703.2025 पर सम्बंधित के हस्ताक्षर एवं रसीद बुक संख्या 64 के प्रथम, अंतिम एवं रसीद संख्या 76 पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पशचात परिवादी श्री मनीष बारोट की निशादेही पर नक्षा मौका घटनास्थल एवं हालात मौका मूर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसी समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये टेलीफोन पाबन्द किये गये थानाधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह पुलिस थाना रिको आबुरोड मय जाब्ता के इमदाद हेतु उपस्थित आये। प्रकरण में आरोपी श्री रजनीशसिंह सचिव की दस्तयाबी हेतु एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के कार्यालय कक्ष की खाना तलाषी की खाना तलाषी ली जाना आवष्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान, तस्तयाब शुदा आरोपी मय जाब्ता श्री कुयाराम पुलिस निरीक्षक, श्री विक्रमसिंह हैड कानि, श्रीमती ईषू कंवर महिला कानि. जरिये सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री गणेश लाल एवं श्री लक्ष्मणसिंह थानाधिकारी मय जाब्ता के मैसर्स वन्दना ऐजेन्सी सान्तपुर आबूरोड़ से कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ के लिऐ रवाना हुआ। दिनांक 12.03.2025 को समय 09.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़ पहुचे। कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति में सचिव श्री रजनीशसिंह उपस्थित नहीं मिले। उनके बारे में कार्यालय में उपस्थित श्रीमती रितल अस्थाई कम्प्यूटर ऑपरेटर व एक अन्य महिला कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होने बताया श्री रजनीशसिंह सचिव कार्यालय में अपने कक्ष के पास बने एक अन्य कमरे में ही निवास करते है। परन्तु आज कार्यालय समय के पश्चात श्री रजनीशसिंह सचिव कृषि उपज मण्डी समिति में उपस्थित दिखाई नहीं दिये। जिस पर कृषि उपज मण्डी समिति के परिसर में तलाश की परन्तु उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिस पर हमराह स्थानीय थानाधिकारी श्री लक्ष्मणसिंह मय जाब्ता को संदिग्ध श्री रजनीशसिंह की दस्तयाबी में सहयोग करने हेतु आग्रह एवं पाबन्द किया। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के कार्यालय कक्ष एवं उनकी टेबल की खाना तलाषी जाकर मुर्तिबा फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। विस्तृत हालात फर्द में अंकित किये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के रवाना होकर मैसर्स वन्दना ऐजेन्सी सान्तपुर आबूरोड पहुच आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति आबूरोड़, जिलस सिरोही के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध कारित किया जाने से उसे उसके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर उसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके सगे भाई पिता श्री मुकेष कुमार को दी गई। तत्श्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्री सुरेश दान कानि नं 470 द्वारा परिवादी श्री मनीष बारोट एवं आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक कृषि उपज मण्डी आबूरोड जिला सिरोही के मध्य दिनांक 12.03.2025 को जरिये मोबाईल रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व वार्ता एवं रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ताओ को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट् मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की फॉरेन्सिक ईमेंजिग टूल की मदद से हैष वैल्यू ज्ञात कर फर्द पर अंकित की गई तथा रिर्काडेड ऑडियों क्लीपों की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से तीन क्लॉन पेन ड्राईव तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में से निकालकर एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये उक्त थैली पर मार्क –एम-2 अकिंत किया एवं तीनों पेन ड्राईव को क्लोन मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक की आवाज की पहचान परिवादी श्री मनीष बारोट द्वारा की गई। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में श्रीमति ईशु कंवर महिला कानि नं 157 द्वारा आरोपी से परिचय करना, रिश्वती राशि बरामद, रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध मे पूछताछ, धोवन प्रकिया तथा आर्टिकल्स शिल्डचेपा व खाना तलाषी आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक के कार्यालय कक्ष इत्यादि की विडियोग्राफी जो कार्यालय के विडियो कैमरा में रिकॉर्ड हैं। उक्त रिकॉर्ड विडियोग्राफी की फॉरेन्सिक ईमेंजिग टूल की मदद से हैश वैल्यू ज्ञात कर फर्द पर अंकित की गई तथा रिर्काडेड विडियोंग्राफी की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से तीन क्लॉन पेन ड्राईव तैयार की जाकर मूल मैमोरी कार्ड विडियो कैमरे

में से निकालकर एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तीनों पेन ड्राईव को क्लोन मानते हुये खुली रखी गई। इसी समय थानाधिकारी श्री लक्ष्मणसिंह को ईमदाद डयुटि से फारीक मय हिदायत संदिग्ध आरोपी की तलाष एवं दस्तयाबी हेतु पुनः हिदायत दी गई। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप की मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा एवं तीन क्लोन पैन ड्राईव खुली एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त रिश्वती राशि 20000रूपये शील्ड शुदा, धोवन की शीशियां मार्क आरएच-01, आरएच-02, एलएच-01, एलएच-02, विडियों कैमरे में लगा मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा एवं तीन क्लोन पैन ड्राईवे खुली इत्यादि मालखाना आईटम्स श्री चेला राम मुआ नं 109 को सुपूर्द कर हिदायत हुई की ब्यूरो चौकी सिरोही पहुच सुरक्षित जमा मालखाना करवाये।कार्यवाही में मौके की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री मनीष बारोट को रुखस्त दी जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो दल सदस्यो, गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक कृषि उपज मण्डी आबूरोड जब्त सुदा रिकार्ड एवं मालखाना आईट्म के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन, व निजी कार के वन्दना ऐजेन्सी सान्तपुर आबुरोड से रवाना होकर सिरोही पहुच राजकीय चिकित्सालय सिरोही से गिरफतार शुदा आरोपी का मेडिकल मुआयना करवाकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पृावली की जाकर ब्यूरो चौकी सिरोही पहुचे अत अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ओमप्रकाश पर्यवेक्षक क़षि उपज मण्डी समिति आबुरोड, जिला सिरोही व श्री रजनीशकुमार सिंह सचिव क़षि उपज मण्डी समिति आबुरोड, जिला सिरोही द्वारा अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 61 बीएनएस 2023का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय (रामेश्वरलाल) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामेश्वरलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 61 बीएनएस 2023 में आरोपी श्री 1.श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायणलाल, जाति धोबी, उम्र 41 वर्ष, निवासी भभूत मल की चाल, माउन्ट आबूरोड़, दरबार स्कूल के पास, आबूरोड़, जिला सिरोही हाल पर्यवेक्षक, कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड़, जिला सिरोही एवं 2. श्री रजनीशकुमार सिंह हाल सचिव कृषि उपज मण्डी, आबुरोड जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 168 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।क्रमांक 309–13 दिनांक 13.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली, 2.उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 3.शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर । 4- सचिव, कृषि उपज मण्डी, समिति, आबूरोड, सिरोही 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर। ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DHARMENDRA DUKIYA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]3/2025 1[illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	19/08/1983				
2	Male	12/12/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)